निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी श्री बृजेन्द्र मीना, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
05/2020	20.1.2020	18.2.2026

1. रामसहाय पुत्र भोरया, माली निवासी खानपुर बडौदा ढाणीं पैमापुरा तहसील गंगापुर सिटी
2. ऊंकार पुत्र किशनलाल, माली निवासी खानपुर बडौदा ढाणीं पैमापुरा तहसील गंगापुर सिटी
3. कैलाश पुत्र किशनलाल, माली निवासी खानपुर बडौदा ढाणीं पैमापुरा तहसील गंगापुर सिटी
4. रमेश पुत्र किशनलाल, माली निवासी खानपुर बडौदा ढाणीं पैमापुरा तहसील गंगापुर सिटी
5. रामू पुत्र किशनलाल, माली निवासी खानपुर बडौदा ढाणीं पैमापुरा तहसील गंगापुर सिटी

—वादीगण

बनाम

1. रतनलाल पुत्र भोरया, माली निवासी खानपुर बडौदा ढाणीं पैमापुरा तहसील गंगापुर सिटी
2. गीता पुत्री किशनलाल, माली निवासी खानपुर बडौदा ढाणीं पैमापुरा तहसील गंगापुर सिटी
3. सरबती पुत्री किशनलाल, माली निवासी खानपुर बडौदा ढाणीं पैमापुरा तहसील गंगापुर सिटी
4. सोमेती पुत्री किशनलाल, माली निवासी खानपुर बडौदा ढाणीं पैमापुरा तहसील गंगापुर सिटी
5. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी तहसील गंगापुर सिटी

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत भूमि विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा,
घोषणा खातेदारी व इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थित :— श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट, वादीगण की ओर से
श्री रवि कुमार शर्मा, एडवोकेट, प्रति०नं० 1 ता 4 की ओर से

निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.27 15:31:52 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण ने वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि भूमि ख0नं0 653 रकबा 0.35 है०, ख0नं0 654 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 655 रकबा 0.22 है0, ख0नं0 656 रकबा 0.31 है०, ख0नं0 656/1156 रकबा 0.01 है० ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

खानपुर बडौदा की खातेदारी वादीगण व प्रतिवादी सं० 1 लगायत 4 के नाम संयुक्त रूप से दर्ज चली आ रही है। खातेदार रतनी पत्नी भौरया का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस वादीगण व प्रतिवादी सं० 1 लगायत 4 हैं। मृतक रतनी के हिस्से में वादी का 1/3 वादी सं० 2 लगायत 5 व प्रतिवादी सं० 2 लगायत 4 का हिस्सा 1/3 व प्रतिवादी सं० 1 का हिस्सा 1/3 है तथा इसी अनुसार स्वयं को खातेदार घोषित कराने के अधिकारी हैं। उपरोक्त वर्णित भूमि में वादी नं0 1 का 1/3 हिस्सा, वादी नं0 2 लगायत 5 व प्रतिवादी नं0 2 लगायत 4 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 1 का 1/3 हिस्सा है। मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगण ने उक्त हिस्से अनुसार मौखिक विभाजन कर रखा है जिसके अनुसार ख०नं० 653 वादी सं० 1, ख0नं0 654 655 वादी सं० 2 लगायत 5 व प्रतिवादी सं० 2 लगायत 4 तथा ख0नं0 656 प्रतिवादी सं० 1 के हिस्से में आई है। ख0नं0 656/1156 गै०मु० कुआ है जो शामलाती है तथा ख०नं० 656/1156 से लगता हुआ आम रास्ता है जिसमें होकर वादीगण व प्रतिवादीगण आमद रफत करते चले आ रहे हैं। उक्त रास्ते पर आने जाने के लिए वादी नं० 1 को वादी सं० 2 लगायत 5 व प्रतिवादी सं० 2 लगायत 4 ने तथा प्रतिवादी सं० 1 ने अपने हिस्से में आए ख0नं0 654, 655 व 656 में से उत्तर दिशा की ओर रास्ता दे रखा है जिसमें होकर वादीगण व प्रतिवादीगण आम रास्ता जो ख0नं0 656 से लगता हुआ है में आमद रफत करते चले आ रहे हैं। कुछ समय से प्रतिवादी सं० 1 की नीयत में खोट पैदा हो गया है जिससे उसने वादीगण व प्रतिवादी सं० 2 लगायत 4 को भूमि ख0नं0 656 में होकर आमद रफत के रास्ते में पत्थर डालकर व कंटीले झाड डालकर रूकावट पैदा करना प्रारम्भ कर दिया जिससे वादीगण व प्रतिवादी सं० 2 लगायत 4 को अपने खेतों पर पहुंचने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए वादीगण व प्रतिवादीगण ने दिनांक 30.12.2019 को इस बावत् प्रतिवादी सं० 1 से बात की तो उसने धमकी देकर कहा कि ख0नं0 656 मौखिक विभाजन में मेरे हिस्से में आया है इसलिए मैं इसमें होकर किसी को भी नहीं आने जाने दूंगा, तुम्हें ज्यादा परेशानी है तो भूमि का विभाजन करवा लो तथा अपने लिए रास्ता ले लो। इस पर वादीगण ने प्रतिवादी नं० 1 से तहसील में चलकर भूमि विभाजन करवाने हेतु कहा परन्तु प्रतिवादी नं० 1 ने मना कर दिया एवं कहा कि ज्यादा परेशान करोगे तो भूमि बिना विभाजन के ही भू–माफियाओं को विक्रय कर दूंगा। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि भूमि ख0नं0 653 रकबा 0.35 है0, ख0नं0 654 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 655 रकबा 0.22 है0, ख0नं0 656 रकबा 0.31 है0, ख0नं0 656/1156 रकबा 0.01 है0 ग्राम खानपुरबडौदा के मृतक खातेदार रतनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.27 15:31:52 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

पत्नी स्व० भोरया के नाम से खातेदारी हजफ की जाकर उसके स्थान पर वादी नं० 1 को हिस्सा 1/3, वादी नं० 2 लगायत 5. प्रतिवादी नं0 2 लगायत 4 को हिस्सा 1/3 व प्रतिवादी नं० 1 को हिस्सा 1/3 का खातेदार घोषित किया जाकर रेवेन्यु रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। उक्त वर्णित भूमि का रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार तथा मौके पर कब्जे अनुसार विभाजन किया जावे साथ ही मौखिक विभाजन अनुसार वादी सं० 1 व वादी सं० 2 लगायत 5 व प्रतिवादी सं० 2 लगायत 4 को ख०नं० 656 से लगते हुए आम रास्ते तक आमद रफत के लिए नजरी नक्शे में दर्शाए गए लाल रंग के हिस्से को रास्ते के रूप में संयुक्त खातेदारी में दर्ज किया जावे। प्रतिवादी सं० 1 व 5 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादीगण, प्रतिवादी सं० 2 लगायत 4 को आम रास्ते तक आने जाने में बाधा उत्पन्न नहीं करें न ही बिना विभाजन भूमि किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को रहन वय नहीं करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 बाबजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नही हुए। इस कारण प्रतिवादी संख्या 5 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जबाब दावे में अंकित किया है कि रतनी के मरने के बाद वादीगण, प्रतिवादी सं० 1 व प्रतिवादी सं० 2 लगायत 4 द्वारा आपसी सहमती से भूमि को अलग अलग हिस्सो में बांट रखा है। वादी एवं प्रतिवादी सं० 2 ता 4 द्वारा रास्ते के बगल में प्रतिवादी सं० 1 को हिस्सा दिया क्योंकि रास्ते की तरफ फसल में जानवर अधिक नुकसान करते थे। इसलिए प्रतिवादी सं० 1 को रास्ते के पास वाला हिस्सा दिया था। इसमें प्रतिवादी सं० 1 ने आज से करीब 32 साल पहले करीब एक लाख रूपए खर्च करके अपने हिस्से में पुख्ता चाह का निर्माण करवाया है। तभी से प्रतिवादी सं० 1 उक्त चाह से अपने हिस्से की भूमि ख0नं0 656 में काश्त करता चला आ रहा है। वादी एवं प्रतिवादी सं० 2 लगायत 4 प्रतिवादी सं० 1 की भूमि में होकर रास्ता लेना चाहते हैं। ये अपने हिस्से में रास्ते के बराबर भूमि प्रतिवादी सं० 1 को अपनी भूमि में से प्रतिवादी सं० 1 की भूमि के लगवा दे दे तो वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 4 को प्रतिवादी सं० 1 की भूमि में से रास्ता दिया जाता है तो प्रतिवादी सं० 1 को कोई आपत्ती नहीं है। अतः जबाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी विरूद्ध प्रतिवादी सं० 1 खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 की ओर से कोई जबाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.27 15:31:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

वादपत्र के समर्थन में वादीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 ग्राम खानपुरबडौदा, नकल नक्शा ट्रेस प्रस्तुत की है।

दिनांक 15.1.2021 को वादीगण एवं प्रतिवादी सं० 1 ने मय वकील हाजिर अदालत होकर एक राजीनामा प्रस्तुत किया जो तस्दीक किया जाकर – पत्रावली में शामिल किया गया। राजीनामे में पक्षकारों ने अंकित किया है कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण में लोक अदालत की भावना से एवं पांच आदमियों के समझाने से पक्षकारान में राजीनामा हो गया है। जिसके अनुसार भूमि ख0नं0 653, 654, 655, 656, 656/1156 में होकर राजीनामे के साथ संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शाये अनुसार रास्ता 15 फुट चौडाई में रहेगा। जिसे सभी पक्षकारान आवागमन के रूप में उपयोग में लेंगे तथा रास्ते की भूमि सभी खातेदारान के हिस्से में समान रूप से रहेगी, साथ ही उक्त दावे की भूमि वर्तमान में रिकार्ड में शामलाती है जिसमें मौके पर कब्जे के अनुसार ख0नं0 653 की भूमि रास्ते की भूमि को छोड कर वादी नं० 1 रामसहाय की खातेदारी में, ख0नं0 654, 655 की भूमि रास्ते की भूमि को छोडकर वादी सं० 2. 3. 4. 5 व प्रतिवादी सं० 2, 3, 4 की खातेदारी में दर्ज की जावे। इसी प्रकार भूमि ख0नं0 656 व 656/1156 की रास्ते की भूमि को छोडकर शेष भूमि प्रतिवादी सं० 1 रतनलाल के खाते में दर्ज कर दी जावे। इसी अनुसार राजीनामे के साथ संलग्न नजरी नक्शा अनुसार भूमि का विभाजन कर दिया जावे। अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि प्रकरण की पत्रावली आज ही तलब कर राजीनामे अनुसार निर्णय पारित कर पक्षकारान के खाते में पृथक पृथक भूमि दर्ज करने के आदेश तहसीलदार गंगापुर सिटी को देने की कृपा करें।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं ने इस बहस को सुना।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण ने अपनी बहस में राजीनामा अनुसार पक्षकारान के मध्य भूमि का विभाजन कर पृथक पृथक खातेदारी दर्ज करने का निवेदन किया है।

प्रकरण मे वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर 03.2.2021 वादीगण का वाद प्राथमिक डिक्री किया गया तथा तहसीलदार गंगापुर सिटी से वादग्रस्त भूमि की विभाजन स्कीम चाही गई।

तहसीलदार गंगापुर सिटी के पत्रांक भूअ/25/5492 दिनांक 17.11.2025 द्वारा विभाजन स्कीम प्राप्त हुई। विभाजन स्कीम पर उभयपक्ष के अभिभाषक को सुना गया। तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहां से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य भूमि का विभाजन किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.27 15:31:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहॉ से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य निम्न अनुसार भूमि का विभाजन किया जाता है।

1. रामसहाय पुत्र भौरया जाति माली सा. देह खातेदार की खातेदारी मे भूमि ख0न0 653/2 रकबा 0.33 है0 ग्राम खानपुर बडौदा तह0 गंगापुर सिटी रहेगी।

2. रामसहाय पुत्र भौरया जाति माली सा. देह खातेदार की खातेदारी मे भूमि ख0न0 655/1 रकबा 0.01 है0, ख0न0 656 रकबा 0.31 है0, ख0न0 656/1153 रकबा 0.01 है0 ग्राम खानपुर बडौदा तह0 गंगापुर सिटी रहेगी।

3. ऊकॉर पुत्र किशनलाल हि0 1/7, कैलाश पुत्र किशनलाल हि0 1/7, रामू पुत्र किशनलाल हि0 1/7, गीता पुत्री किशनलाल हि0 1/7, सोमोती पुत्री किशनलाल हि0 1/7, विक्रम, अमृत पि0 रमेश, निरमा, पुष्पा पुत्री रमेश, गुड्डी पत्नी रमेश हि0ब0 हि0 1/7, सा.देह खातेदार पिन्टू पुत्र बजरंगलाल, धोडी, रकम, सुनीता, विमला, द्रोपदी, अंगूरी पुत्रियॉ बजरंगलाल हि0ब0 हि0 1/7 निवासी पिपलाई खातेदार की खातेदारी मे भूमि ख0न0 653/1 रकबा 0.02 है0, ख0न0 654 रकबा 0.10 है0, ख0न0 655/2 रकबा 0.21 है0 ग्राम खानपुर बडौदा तह0 गंगापुर सिटी रहेगी।

4. रामसहाय पुत्र भौरया जाति माली हि0 1/3, रामसहाय पुत्र भौरया जाति माली हि0 1/3, ऊकॉर पुत्र किशनलाल, कैलाश पुत्र किशनलाल, रामू पुत्र किशनलाल हि0ब0 हि0 3/21, गीता पुत्री किशनलाल, सोमोती पुत्री किशनलाल हि0ब0 हि0 8/21, विक्रम, अमृत पि0 रमेश, निरमा, पुष्पा पुत्री रमेश, गुड्डी पत्नी रमेश हि0ब0 हि0 1/21, सा.देह खातेदार पिन्टू पुत्र बजरंगलाल, धोडी, रकम, सुनीता, विमला, द्रोपदी, अंगूरी पुत्रियॉ बजरंगलाल हि0ब0 हि0 1/21 निवासी पिपलाई खातेदार की खातेदारी मे भूमि ख0न0 692 रकबा 0.04 है0, ख0न0 696 रकबा 0.04 है0 ग्राम खानपुर बडौदा तह0 गंगापुर सिटी रहेगी।

इसी अनुसार पक्षकारान के नाम भूमि की पृथक पृथक खातेदारी दर्ज की जावें। पृथक पृथक लगान दर्ज किया जावे एवं राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस मे इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। जमाबंदी मे दर्ज बैंक रहन सम्बधित खातेदारान के नाम यथावत रहेगा। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी। पर्चा डिक्री जारी की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 18.2.26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.27 15:31:52 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)